बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय
विद्याविहार, रायबरेलीरोड, लखनऊ–226025

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)
Vidya Vihar, Rae Bareli Road, Lucknow-226025

Letter No: 1312 **/PROCT./BBAU/2026** **Date: 31-07-2026**

कार्यालय आदेश

कुलानुशासक कार्यालय द्वारा जारी पत्र संख्या **1308/PROCT./BBAU/2026** दिनाँक 28.07.2026 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2026–27 में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा व उनके अभिभावकों से रैगिंग निषेध से सम्बन्धित शपथ पत्र ऑनलाइन माध्यम से https://www.antiragging.in/affidavit_university_form.php पर भरवाया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर भी प्रत्येक छात्र– छात्रा से प्रॉस्पेक्ट्स (विवरण–पुस्तिका) पर संलग्न शपथ पत्र 10 रू0 के स्टाम्प पेपर पर भरवाया जाना आवश्यक है।

उक्त कार्य हेतु आप सभी का महती सहयोग अपेक्षित है।

कुलानुशासक

प्रतिलिपिः–

1. अनुभाग अधिकारी, कुलपति सचिवालय, बी.बी.ए.यू. को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिष्ठाता, शैक्षणिक अनुभाग, बी.बी.ए.यू., लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी विभागाध्यक्ष, निदेशक, समन्वयक, बी.बी.ए.यू., लखनऊ, को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह अपने विभाग में उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4. निदेशक, अमेठी परिसर, बी.बी.ए.यू., लखनऊ, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
5. इंचार्ज, विश्वविद्यालय वेबसाइट।
6. रक्षित पत्रावली।

कुलानुशासक

कुलानुशासक
31/7/2026
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
विद्या विहार, रायबरेली रोड
लखनऊ-226025

Scanned with OKEN Scanner

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय
विद्याविहार, रायबरेलीरोड, लखनऊ–226025

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)
Vidya Vihar, Rae Bareli Road, Lucknow-226025

Letter No: 1308 **/PROCT./BBAU/2026** **Date:** 28-07-2026

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी पत्र संख्या 1-15/2009(ARC)PT-III दिनाँक 5 श्रावण, 2026/ July 27, 2026 के क्रम में रैगिंग निषेध से सम्बन्धित अधिनियम 2009 के अनुसार समस्त विभागाध्यक्ष, निदेशक, समन्वयक से अनुरोध है कि, विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026–27 में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा व उनके अभिभावकों से रैगिंग निषेध से सम्बन्धित शपथ पत्र ऑनलाइन माध्यम से www.antiragging.in पर भरवाया जाना अनिवार्य है।

उक्त कार्य हेतु आप सभी का महती सहयोग अपेक्षित है।

कुलानुशासक

प्रतिलिपिः–

1. अनुभाग अधिकारी, कुलपति सचिवालय, बी.बी.ए.यू. को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिष्ठाता, शैंक्षणिंक अनुभाग, बी.बी.ए.यू., लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी विभागाध्यक्ष, निदेशक, समन्वयक, बी.बी.ए.यू., लखनऊ, को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह अपने विभाग में उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
4. निदेशक, अमेठी परिसर, बी.बी.ए.यू., लखनऊ, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
5. इंचार्ज, विश्वविद्यालय वेबसाइट।
6. रक्षित पत्रावली।

कुलानुशासक
28/7/2026

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. श्यामा रथ
सचिव

Prof. Shyama Rath
Secretary

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

F. No. 1-15/2009(ARC)PT.III

5 श्रावण, 2026/July 27, 2026

Subject: Strict Implementation of UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions

आदरणीय महोदया/महोदय,

The University Grants Commission (UGC), in pursuance of the Hon'ble Supreme Court Judgment dated 08.05.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, notified the **UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009**. The Regulations are available at www.ugc.gov.in and www.antiragging.in.

All Higher Educational Institutions (HEIs) are advised to ensure strict compliance with the UGC Anti-Ragging Regulations and adopt effective measures to prevent, prohibit, and eliminate ragging in all its forms.

Institutions shall, inter alia, ensure:

- Constitution and effective functioning of anti-ragging bodies as prescribed under the Regulations.
- Display of 24x7 Toll Free Number. **1800-180-5522**, anti-ragging posters and publicity materials at prominent locations.
- Submission of anti-ragging undertakings by students and parents through www.antiragging.in.
- Conduct of awareness, counselling, orientation, and sensitization programmes.
- Vigilance in hostels and other vulnerable areas.
- Prompt redressal of complaints, protection of complainants, and timely reporting of cases.
- Immediate registration of FIRs and disciplinary action wherever a prima facie case of ragging is established.

All institutions are requested to accord the highest priority to anti-ragging measures, maintain zero tolerance towards ragging, and ensure compliance by affiliated colleges under their jurisdiction.

सादर,

भवदीया,

श्यामा रथ

(श्यामा रथ)

Vice-Chancellors/ Directors/ Principals of all HEI'S

Scanned with OKEN Scanner